न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्या: 8/2019/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक: 20.5.2019
अन्तर्गत धारा: 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

हरजीत सिंह आत्मज जसवंत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी नहर के उपर गणेश फाटक के पास के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये उप खण्डा मजिस्ट्रेट, बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जयकुमार चित्तोडा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3609 दिनांक 21.4..2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा पिता जसवन्त सिंह द्वारा धारित अनुज्ञापत्र संख्या 4151 बन्दूक 315 बोर राइफल नं0 4918 वैधता अवधि दिनांक 31.12.2019 को पिता की वृद्धवस्था होने से उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर नया शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाहे जाने पर उनके द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही कि जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3609 दिनांक 21.4..2017 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि आवेदन पत्र बिना किसी समुचित आधार के पुलिस की मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी को सुने बगैर खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट को कृषि कार्य हेतु दिन व रात खेतो पर आना जाना पडता है आत्मरक्षा के लिये शस्त्र की आवश्यकता रहती है। मुक0 सं0 370/12 धारा 4/6 कोलाहल एक्ट मे दर्ज हुआ था जिसका निर्णय होकर मात्र 200/– जुर्माना हुआ है अन्य कोई प्रकरण जेरकार नही है। उक्त तथ्यों के मध्यनंजर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 21.4.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन बावत नये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाकर शस्त्र अपीलार्थी के नाम ट्रांसफर किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत पिता के नाम लाईसेन्स मे दर्ज गन को अपने नाम कराने हेतु नवीन लाईसेन्स जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट की मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर बिना किसी समुचित आधार के अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही जेरअपील आदेश से आवेदन पत्र को खारिज करने मे त्रुटि की है। मुक0 सं0 370/12 धारा 4/6 कोलाहल एक्ट का था जिसका न्यायालय से निर्णय होकर 200/–जुर्माना हुआ है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। अपीलार्थी को कृषि कार्य हेतु रात दिन खेतो पर आना जाना पडता है ऐसी स्थिति मे आत्मरक्षा हेतु

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी का नवीन शस्त्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर पिता के लाईसेन्स मे दर्ज गन अपीलांट के नाम ट्रांसफर किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किये जाने से शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है किअधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर नवीन लाईसेन्स चाहने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही कि जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3609 दिनांक 21.4.2017 से निरस्त का अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि आवेदन पत्र बिना किसी समुचित आधार के पुलिस की मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलार्थी को सुने बगैर खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलार्थी को कृषि कार्य हेतु दिन व रात खेतो पर आना जाना पडता है अतः आत्मरक्षा के लिये शस्त्र की आवश्यकता रहती है। मुक0 सं0 370/12 धारा 4/6 कोलाहल एक्ट मे दर्ज हुआ था जिसका निर्णय होकर मात्र 200/– जुर्माना हुआ है अन्य कोई प्रकरण जेरकार नही है। आलौच्य उक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अनुशंषा नही किये जाने के आधार पर खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होना प्रकट होता है। पत्रावली मे उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपी न्यायालय न्यायिक मजि0 प्रथम वर्ग के0 पाटन द्वारा प्रकरण सं0 370/12 धारा 4/6 कोलाहल अधिनियम बउनवान सरकार बनाम हरजीतसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 2.11.2012 के अवलोकन से प्रकट होता है अपीलार्थी को दोषी पाये जाने पर 200/– अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक बूदी की रिपोर्ट क्रमांक 2870 दिनांक 7.4.2017 मे भी उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य ऐसे ओर कोई तथ्य अंकित नही है जिससे अपीलार्थी का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता हो। अपीलार्थी द्वारा उत्त्राधिकार की अवधारणा के आधार पर स्वयं के नाम नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बगैर निर्णय पारित कर त्रुटि की जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3609 दिनांक 21.4.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ मे उत्तराधिकार प्रावधानो के तहत परीक्षण कर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये आपराधिक प्रकरणों मे हुये निर्णय व शस्त्र की सद्भावी आवश्यकता के मध्यनजर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग,